सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा 03 मार्च, 2017 ई0

------------------ शुक्रवार,तिथि ------------------

पंचम सत्र 12 फाल्गुन, 1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तरकाल ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे ।)

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें ।

(व्यवधान जारी)

आप क्या कहना चाहते है ? बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कल आपको लिखित शिकायत दिया है, आपके संज्ञान में दिया है, उस पर क्या हुआ ? उसी के संबंध में हमलोग जानना चाहते हैं । महोदय, उनके साथ गाली-गलौज और असंसदीय भाषा का प्रयोग किये है । महोदय, उतना ही नहीं, उनके पिता जी के नाम को संबोधित करके असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है । महोदय, हम चाहते है कि ऐसे सदस्य को बर्खास्त किया जाय । माननीय सदस्य श्री लाल बाबू गुप्ता जी ने असंसदीय शब्दों का ही नहीं, गाली-गलौज का भी प्रयोग किया है । महोदय, इस तरह अगर सदन के अंदर होगा तो सदन की क्या परम्परा रहेगी ? सदन की मर्यादा को ये भाजपा के साथी तार-तार कर रहे हैं । महोदय, भाजपा के साथी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली-गलौज और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किये हैं। माननीय विधायक श्री लाल बाबू गुप्ता को बर्खास्त किया जाय, उनकी सदस्यता समाप्त की जाय ।

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चले । माननीय मुख्यमंत्री जी क्या मजबूरी है ? माननीय मंत्री को बर्खास्त करने में मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है ? महोदय, यह मामला पूरे देश की जानकारी में है । महोदय, हमलोग 4 तारीख से, कल से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री यदि सदन में आकर श्री अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त नहीं करते है तो 4 तारीख से पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में हमारा आंदोलन होगा श्री अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त करने के लिये। हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे दोषी लोगों को बचाने का काम

कर रहे हैं । ऐसे दोषी लोगों को मुख्यमंत्री संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं । जिनके ऊपर यह आरोप साबित हो गया है, जिसने देश के माननीय प्रधान मंत्री के विरूद्ध ऐसा आचरण किया है, अभद्र टिप्पणी किया है ।

(इस अवसर पर भाजपा के कुछ माननीय सदस्य वेल में आकर बोलने लगे)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता,विरोधी दल, आप बोल रहे हैं और आपके ही सदस्य आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं । इनको तो पहले वेल से अपने-अपने स्थान पर तो जाने के लिये कहिये ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय,मेरा आग्रह है और सरकार सुन नहीं रही है । मुख्यमंत्री बहुत हल्के में इस बात को ले रहे हैं । हमारी बात पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है । महोदय, यह लोकतंत्र है ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि श्री अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त किया जाय । आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है ? मुख्यमंत्री जी उनको क्यों बचाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर इतना बड़ा और गंभीर आरोप है ? महोदय, इस सदन को चलाना सरकार की भी जिम्मेवारी है और सत्तापक्ष की भी जिम्मेवारी है । चार दिन हो गये हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय,इसीलिये हमलोगों ने सचिवालय थाना, पटना में एफ0आई0आर0 भी किया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भाई विरेन्द्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : आखिर ऐसे दागी मंत्री को, ऐसे बेलगाम मंत्री को नीतीश कुमार जी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं ? माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने भी कहा है कि अब्दुल जलील मस्तान जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए । आखिर नीतीश कुमार जी सत्ता के खातिर, कुर्सी बचाने के लिये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं । यह साबित हो गया है, देश की जनता समझ रही है, बिहार की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी कुर्सी बचाने के लिये अभी तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, हम इस बात को सदन से सड़क तक ले जायेंगे । 4 तारीख से हम राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और हम बिहार की जनता के अदालत में जायेंगे और श्री अब्दुल जलील मस्तान की हम बर्खास्तगी की मांग करेंगे । हम आपके माध्यम से फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आयें और श्री अब्दुल जलील मस्तान पर कार्रवाई करें, बर्खास्त करें अन्यथा हम बैठेंगे नहीं । आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा । महोदय, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, आखिर श्री अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त करने से मुख्यमंत्री को कौन रोक रहा है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोग जनता के द्वारा चुनकर यहां आते हैं, हमलोग विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । सड़कों पर जो बातें होती है, वह तो होती है लेकिन सदन के अंदर एक सदस्य को दूसरे सदस्य के द्वारा गाली-गलौज करना और उनके पिताजी जो इस सदन के सदस्य रहें हैं, पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में वे सदन के सदस्य नहीं हैं, उनको यहां पर गाली-गलौज करना, लाल बाबू गुप्ता जी जो कृत्य किये हैं, महोदय, हमलोग मांग करते हैं कि फूटेज देख कर उनकी सदस्यता समाप्त किया जाय । हमलोग आपसे सदन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि माननीय सदस्य लाल बाबू गुप्ता जी को बर्खास्त किया जाय । हमलोग चाहते हैं कि लाल बाबू गुप्ता जी के ऊपर आप के स्तर से कार्रवाई हो ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपने-अपने स्थान पर जाकर कुछ बोलियेगा तो बात कुछ समझ में भी आयेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के ईशारे पर माननीय सदस्य श्री फराज फातमी के साथ जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, उनके साथ गाली-गलौज किया गया है, उनके पिता जी को अपमानित करने का काम किया गया है । महोदय, ऐसे सदस्य लाल बाबू गुप्ता जी की सदस्यता को समाप्त किया जाय । यह हमलोगों की मांग है महोदय । आप को माननीय सदस्य श्री फराज फातमी जी ने लिखित सूचना दी है, उसका क्या हुआ, यह हमलोग जानना चाहते हैं । महोदय, हम आपका नियमन चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री फराज फातमी ने कल शाम में लिखकर हमको एक सूचना दी है। हम उस के संबंध में आवश्यक छानबीन करेंगे । संबंधित माननीय सदस्य से भी जानकारी लेंगे लेकिन अभी तो सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी के समक्ष यह घटना घटी है, उनकी मौजूदगी में यह घटना घटी है और उन्होंने प्रवोक करने का काम किया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, यह पूर्ण रूप से संविधान का अपमान है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय सदस्य श्री लाल बाबू गप्ता जी के द्वारा जिस तरह का व्यवहार माननीय सदस्य के साथ किया गया है, माननीय सदस्य ने आपको लिखकर दिया है और वह हमलोगों ने भी देखा है और उन्होंने आपको लिख कर भी दिया है तो अब इसकी जांच और इसकी समीक्षा का कहां सवाल उठता है ? सीधे-सीधे प्रस्ताव लेकर उनको सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए ताकि लोगों में एक संदेश जाय, एक सबक जाय कि इस तरह से व्यवहार करनेवाले माननीय सदस्यों की सदस्यता भी जा सकती है । इसलिए आप इस तरह के व्यवहार करनेवालों के ऊपर कार्रवाई करके लोकतंत्र के प्रति आस्था एवं सम्मान स्थापित करने का काम कीजिये, एक परम्परा स्थापित करने की कृपा कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भोला यादव जी ।

टर्न-2/राजेश/3.3.17

(व्यवधान जारी)

श्री भोला यादव:- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फराज फातमी को अपमानित करने का जो काम किया गया है, वह अपने आप में निंदनीय है । महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप संसदीय लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं और इस सदन के गार्जियन हैं । आपसे हमारा निवेदन है कि ऐसे जो सदस्य हैं लाल बाबू गुप्ता, उनकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाय, जिससे की सदन की मर्यादा कायम रहे और माननीय सदस्यों को इस तरह से बहकाने वाले प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी पर भी आप अपने स्तर से आदेश देने का काम करें, जिससे कि इस तरह की घिनौनी हरकत वे बंद करें और आपसे आग्रह है कि तत्काल ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सदन को सूचित करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष:- आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने-अपने स्थान पर तो जाकर बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/03-3-17

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

वित्तीय कार्य

(वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग (शिक्षा विभाग)पर वाद विवाद तथा मतदान)

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या-33 है। इसके लिए एक ही दिन आज का समय निर्धारित है । किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा ।

अब मैं मांग संख्या-21, शिक्षा विभाग को लेता हूं, जिस पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए 03 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	59 मिनट
जनता दल(यू0)	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

कुल-	180 मिनट

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग(संख्या-2)अधिनियम- 2016, बिहार विनयोग (संख्या-3)अधिनियम-2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4)अधिनियम-2016 के उपबंध के अतिरिक्त 6,22,52,11,000/-(छः अरब बाइस करोड़ बावन लाख ग्यारह हजार) रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा

(मा0 सदस्य द्वारा मूव नहीं किया गया)

श्री विजय कुमार सिन्हा

(मा0 सदस्य द्वारा मूव नहीं किया गया)

श्री मिथिलेश तिवारी

(मा0 सदस्य द्वारा मूव नहीं किया गया)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

(मा0 सदस्य द्वारा मूव नहीं किया गया)

चूंकि कोई कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ । अत: माननीय मंत्री के अनुदान मांग के मूल प्रस्ताव पर ही विमर्श होगा । श्री सुरेन्द्र कुमार ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय शिक्षा के आधार पर जितने भी विभूतियां हमारे देश में स्थापित हुए हैं हमलोग...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप लोगों को तो 39 मिनट का समय है, बोलियेगा न जो बोलना है।

(व्यवधान जारी)

श्री सुरेन्द्र कुमार : Education is a type of system which measure the nature and culture of society. इसलिए शिक्षा पर आज बिहार सरकार और महागठबंधन की सरकार शिक्षा पर जो बजट में प्रावधान रखी है 15 प्रतिशत से ऊपर वह काबिले तारीफ है इसलिए आज शिक्षा एक ऐसा माहौल बन चुका है हमारे महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार सरकार में कि आज देश ओर दुनिया में महागठबंधन की चर्चाएं होती है । आज स्थिति यह है कि आज बोर्ड का परीक्षा हो रहा है, हमारे राज्य में आज हमारे छात्र छात्राओं का जो कतार लगा है वह काबिलेतारीफ है देश और दुनिया में जो इसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो स्थापना हुई है वह देश और दुनिया में इस चीज को याद किया जा रहा है चर्चा का विषय बना हुआ है । आज महागठबंधन के सरकार के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोग के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है कि शिक्षा में सुधार होगा और शिक्षा में सुधार जो हो रहा है वह सामने दिखलाई पड़ रहा है । आज बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गयी है जिससे शिक्षा के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है जैसे बिहार स्टूडेंट केडिट कार्ड । आज जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको कठिनाई होता था लेकिन महागठबंधन की सरकार ने बिहार स्टूडेंट केडिट कार्ड को प्रोविजन में लाकर के 4 लाख शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराने का हमारा कार्यक्रम है । मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में सुधार - विगत वर्ष 28 फरवरी 16 को मुम्बई से प्रकाशित गल्फ न्यूज में दैनिक समाचार पत्र में कदाचार मुक्त परीक्षा के हमारी व्यवस्था की सराहना छपी है अररिया के एक शिक्षक से प्राप्त संवाद को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ- Education is beautification of the inner world and outer world. I can't believe on my eyes when I see the current on going main examination fairness. It has been a long time as being a teacher I have never seen such a fair examination system . I am filled with the joy open the skill change the future of Bihar and thanks the Nitish Government which dedicated him of bureaucrats, teacher and all other member in examination reform the system . अध्यक्ष महोदय,आज जो हमारी महागठबंधन की सरकार 1 अप्रैल 2016 से नई उत्पाद नीति के तहत मद्य निषेध, शराबबंदी का जो फैसला किया जो मानव श्रंखला से सत्यापित होता है, इसका इस राज्य में ही नहीं देश ओर दुनिया में सराहना किया गया है । हमारे नागरिकों का जीवन है इस अभियान को हर पंचायत, हर टोले, हर द्वार, हर आदमी तक पहुंचाने का जिम्मा शिक्षा विभाग ने उठाया है । शिक्षा विभाग का यह सोच है, हम सब का यह अभियान है नशामुक्ति पैगाम है । जिस समाज में शांति हो, जिस समाज में समरसता हो, समांजस्य

हो, उस समाज का निर्वाह होकर के रहेगा किसी के चाहने से नहीं रूक नहीं सकता है। (क्रमशः)

टर्न-4/मधुप/03.3.2017

...क्रमशः...

श्री सुरेन्द्र कुमार : आज प्राथमिक शिक्षा की जो वर्तमान में स्थिति है, किसी भी समाज का रीफॉर्मेशन प्राइमरी एजुकेशन से होता है और प्राइमरी एजुकेशन पर आज जो महागठबंधन की सरकार हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पहल है, मंथन है, आपस में कोऑर्डिनेशन करके प्राइमरी एजुकेशन को जो सशक्त किया गया है, वह काबिले-तारीफ है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के नेता और माननीय सदस्य जिस तरह से आज फिर टेबुल उलटने की स्थिति में आ गये हैं, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, संसदीय कार्यों में इनको विश्वास नहीं है । ठीक है कि विरोध करें, इनका काम है लेकिन जिस तरह से सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिये टेबुल उलटना चाहते हैं, कुर्सी उलटना चाहते हैं, यह परंपरा ठीक नहीं है । इनको आसन से निर्देश मिलना चाहिये कि इस तरह से परंपरा का निर्वाह न करें । दूसरे को कहते हैं कि आरचण ठीक नहीं है, दूसरे को कहते हैं कि ये कानून की हिफाजत नहीं कर रहे हैं और अपने खुद कानून को तोड़ रहे हैं, नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं और नियम से कोई बात करना नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रश्न को नियम से सदन में नहीं लाना चाहते हैं । कटौती प्रस्ताव इन्होंने दिया, कटौती-प्रस्ताव पेश करने का साहस भी नहीं है, महोदय । यह स्वस्थ विपक्ष का काम नहीं है । इसलिये महोदय, आसन से इनको निर्देशित किया जाना चाहिये कि इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार, संसदीय प्रणाली में नहीं किया जाता है ।

(वेल में व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे आग्रह है कि कम से कम अपने सदस्यों से अशोभनीय आचरण, अशोभनीय हरकत से परहेज करने के लिये कहें ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, हाउस जब ऑर्डर में नहीं है, दोनों पक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, आपको हाउस स्थगित करना चाहिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, हाउस में ऑर्डर में नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष कैसे बोल रहे हैं ? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हाउस ऑर्डर में है या नहीं है । ऑर्डर में

अगर हाउस नहीं है तो आप अपनी बात को कैसे रख रहे हैं ? इनको जब लगता है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है तो कोई बात इनको नहीं रखना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, आपने फरमान जारी किया है कि प्रेस के लोग फोटो नहीं लेंगे, बाइट नहीं लेंगे । यह कैसा लोकतंत्र है, महोदय ? लोकतंत्र में अधिकार है, पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ होते हैं, उनपर आपने फरमान जारी किया है, उस फरमान जो वापस लीजिये और महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है सदन चलाना, नीतीश कुमार जी को चाहिये, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिये। आखिर सरकार क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है, कौन रोक रहा है ? क्या कारण है ? मुख्यमंत्री आखिर कहाँ हैं और किस परिस्थिति में निर्णय नहीं ले रहे हैं । यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सड़कों पर जा रहे हैं, पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन हमलोग करेंगे, 4 तारीख को......

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को धमकाने का काम कर रहे हैं, आसन को धमकी देने का काम कर रहे हैं । इनके धमकी देने से कोई डरने वाला नहीं है । संसदीय परम्परा, संसदीय प्रणाली से इनका विश्वास उठ गया है । हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा तो ये भाषण देंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे ? संसदीय परम्परा में ऐसा नहीं होता है । आपको भी सरकार की बात सुननी पड़ेगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : सरकार मंत्री की बर्खास्तगी की घोषणा करे तभी हम अपना विरोध और आंदोलन समाप्त करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, हमने कभी पत्रकारों को न फोटो लेने से मना किया है, न किसी माननीय सदस्य की बात कहने से रोका है । अगर किसी ने यह आपको कहा है.....

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये, आपने तो अपनी बात कह दी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : विधान सभा के इतिहास में पहली बार आपके द्वारा ऐसा फरमान जारी हुआ है, पत्रकार विरोध कर रहे हैं । हमारा आग्रह है, पत्रकार विरोध कर रहे हैं कि हमलोगों को रोका जा रहा है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, पहली बार विधान सभा के इतिहास में । हमारा आग्रह होगा कि लोकतंत्र है, ऐसा मत करिये, लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास नहीं किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, सबसे पहली बात आप समझ लीजिये कि मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है...

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये, आप सुनते नहीं हैं । एक मिनट रूक जाइये । जो भी निर्णय हुआ है वह जो प्रेस एडवाइजरी कमिटी है, जिसमें सारे पत्रकार ही मौजूद थे और आपकी

जानकारी के लिये, बिहार राज्य के या पटना के जो भी इलेक्ट्रोनिक चैनल के हैं या प्रिंट मीडिया के वरिष्ठतम लोग जो विधान सभा को कवर करते हैं, यह उनलोगों की बैठक में उनलोगों के द्वारा ही लिया गया निर्णय है, पहली बात ।

दूसरी बात, किसी भी मीडिया के साथी को हमारे किसी भी विधायक साथी की कोई बात न छापने से, न फोटो लेने से, कहीं किसी को रोका नहीं गया है । सिर्फ यह कहा गया है, अब आप बोलिये आप नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रेस गैलरी से जहॉं से फोटो खींचना मना है, अगर वहॉं से कोई हमारे मीडिया के साथी गैर जानकारी से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारे मीडिया के साथी इतने जिम्मेवार जरूर हैं कि वे जब जानेंगे कि यह नियम के प्रतिकूल है तो कोई प्रेस गैलरी से मोबाइल से फोटो नहीं खींचेंगे । यह उसमें तय हुआ है । यह तय हुआ है कि मीडिया के लोगों का जहॉं स्थान बना हुआ है, वे वहीं पर रहें, नहीं तो माननीय सदस्यों के आवागमन में, आने-जाने में बाधा होती है, बीच में कोई खड़े हो जाते हैं, जो माननीय सदस्य आते हैं उनको ।

जो दलीय नेताओं की बैठक थी, उसमें आप भी थे, आपने भी इसको तय किया था कि जब माननीय सदस्य यहॉं से निकलते हैं, मुख्य द्वार पर लोगों के आने-जाने का रास्ता बन्द नहीं करेंगे, आप भी उस बैठक में शामिल थे ।

(व्यवधान)

मेरी पूरी बात सुन लीजिये । इसलिये अगर किसी ने आपको यह कहा है कि हमने फोटो छापने से मना किया है, हमने आपका या किसी माननीय सदस्य का वक्तव्य लेने से मना किया है या उनको बाइट देने से मना किया है तो उसने आपको गुमराह किया है । वैसे गंदे लोगों से आप सतर्क हो जाइये । वे गंदे लोग हैं जिन्होंने आपको इस तरह की ब्रीफिंग की है । मीडिया के साथी हैं, बहुत सारे लोग यहॉं पर उपस्थित होंगे जो उस बैठक में थे, हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, सारे मीडिया के लोगों ने निर्णय लिया है, उनको भी दिक्कत होती है । जो गम्भीर पत्रकार हैं, चाहे इलेक्ट्रोनिक चैनल के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं, उनलोगों ने भी यह बात कही कि हमलोगों को दिक्कत होती है। चाहे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण हैं, सत्ता पक्ष के सदस्यगण हैं, सरकार के सदस्यगण हैं, सबलोग अपना काम सहूलियत से कर सकें इसलिये वह व्यवस्था की गई है । हमको कहॉं कोई दिक्कत है ? हमको कोई दिक्कत नहीं है ।

(व्यवधान)

अब तो चलने दीजिये न ! आपको 39 मिनट है । आपको 39 मिनट हम बोलने देंगे । आपके दल के लिये निर्धारित समय है - 39 मिनट । आप हमसे समय मॉंग रहे हैं, आप अपने विकल्प का उपयोग करिये ।

श्री अभय कुमार सिन्हा ।

(वेल में व्यवधान जारी)

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के अनुदान माँग के प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के महागठबंधन की सरकार को......

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार आसन से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से संसदीय परम्परा और संसदीय प्रणाली को तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं, जिनको संसदीय परम्परा में विश्वास नहीं है, ये टेबुल उलटने का काम कर रहे हैं । हमारे विधान सभा के रिपोर्टर हैं, हमारे विधान सभा के सेक्रेटरी बैठे हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की घटना-दुर्घटना हो सकती है । इसके पहले भी रिपोर्टर को चोट लगी है और इस तरह का आचरण और व्यवहार करने वाले माननीय सदस्यों....

अध्यक्ष : एक बात तो प्रेम बाबू मानियेगा, हम जानकर बोलना नहीं चाहते हैं, आपलोग इसका अन्यथा नहीं लीजिये, अभी परसों-तरसों की बात है जिस दिन टेबल के साथ छेड़छाड़ हुई थी, हमारे दो कर्मियों, दो रिपोर्टर को चोट लगी थी, उन्होंने आकर मुझसे शिकायत की, चोट लगी थी । आखिर इस तरह की चीजों के लिये यहाँ कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है ।

(व्यवधान)

चन्द्रसेन जी, बैठिये । एक चीज और हम सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि बराबर यह बात आती है कि सदन ऑर्डर में नहीं है तो सदन कैसे चल रहा है ?

....क्रमशः ....

टर्न-5/आजाद/03.03.2017

...... क्रमशः ....

अध्यक्ष : हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सदस्यगण सदन में अव्यवस्था फैलायें, वही व्यवस्था का प्रश्न उठायें, यह किस नियम में है ? अभी क्या व्यवस्था है, यह बताईए ? यह कहीं का नियम नहीं है कि अव्यवस्था फैलाने वाले ही व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे । अगर वे व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो यह उन पर भी उतना ही लागू होता है। अगर सत्ताधारी दल के सदस्य खड़ा होकर अव्यवस्था फैलायेंगे और वह व्यवस्था की बात करेंगे तो मैं उनको इजाजत नहीं दूँगा । मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो अव्यवस्था फैलायें और वही व्यवस्था का प्रश्न उठायें, वही आसन को व्यवस्था की नसीहत दें, यह कहां का न्याय है ?

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : सत्ताधारी दल के लोग टेबुल पर चढ़कर नाच रहे थे तो कहां उनपर कार्रवाई किये ?

अध्यक्ष : वह भी गलत कर रहे थे ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : आप कहां कार्रवाई किये ?

अध्यक्ष : हम सब पर कार्रवाई करते हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, हम आपकी बात से सहमत हैं ....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, आप ईमानदारी से ह्रदय पर हाथ रखकर बोलिये कि सदन में तख्ती लेकर आना मना है, इसको आपने भी तय किया था । सी0पी0आई0(एम0एल0) के लोग तख्ती लिये थे, उनसे हमने छिनवा दिया था । आपके सदस्य लेकर खड़े थे लेकिन हमने इज्जत से छोड़ दिया । अगर मैंने कहीं निर्णय किसी के पक्ष में लिया है तो वह आपके पक्ष में लिया है । आपके सदस्य भी तख्ती लेकर घूम रहे थे, आप फैसला करने में रहते हैं और उसको तोड़ने की बात में आप रोकते नहीं हैं । अब तो कम से कम इनको रोकिये, ये तो सदस्य हैं, कुछ उत्तेजना में रहते हैं । आप तो पुराने सदस्य हैं, आप तो इनको वापस बुला लीजिए ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : गुस्सा महोदय है, नाराजगी लोगों में है महोदय ....

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पर सदन में बहस थी और इस वाद-विवाद में इनको हिस्सा लेना चाहिए था । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी दल के साथी इस अहम विभाग के वाद-विवाद में हिस्सा लेने का काम नहीं कर रहे हैं । यह बिहार की अवाम, यह बिहार की जनता इन्हें देखने का काम कर रही है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से महागठबंधन सरकार को, माननीय विकास और विश्वास पुरूष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ , माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग के लिए इस सरकार द्वारा बजट में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं इस महागठबंधन सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार की अवाम ने उस दिन को भी देखा है, जब बिहार के गांवों में, पंचायतों में पोल के नीचे बैठ करके हमारे छात्र-छात्रायें, बच्चे-बच्चियां पढ़ा करती थी, शिक्षा ग्रहण किया करती थी । हमारे माननीय विकास एवं विश्वास पुरूष .....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपनी बात जगह पर जाकर तो बोलिये ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, साईकिल योजना, पोशाक योजना, छात्र-छात्रायें प्रोत्साहन राशि योजना ये तमाम योजनाओं के लागू होने से विद्यालयों में आंगन में ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अच्छा एक बात बताईए । हमारा अधिकार, इस आसन का अधिकार, सदन का अनुशासन आप सबों पर है और जब आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो हम सरकार को क्या कहें ?

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 4.45 बजे अप0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/शंभु/03.03.17

(स्थगन के उपरान्त)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय..........

(व्यवधान)

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : अब अनुपूरक मांग पर सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष-2016-17 में तृतीय अनुपूरक आगणन से शिक्षा विभाग को राशि प्रावधानित करने हेतु आपके माध्यम से सदन से अनुरोध कर रहा हूँ । विगत कई वर्षों से बिहार सरकार के लगातार प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है । अपने मानव संसाधन को सबल और समर्थ बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक कहावत है कि यदि एक साल की सोच है तो अनाज और सब्जी उगाईये, एक दशक के लिए सोचते हैं तो फल लगाईये, अगर पीढ़ियों के लिए सोचते हैं तो शिक्षा में अपनी ताकत, अपना धन और समय लगाईये । हमारी वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के भविष्य के लिए चिंतनशील है। हमने सभी गांव तक, घरों तक और हर बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने में सफलता पायी है, लगभग 99 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित है। उनके लिए विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्ता पर लगातार काम करते हुए बिहार ने एक उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है । अब हमारा बल माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने का है । माध्यमिक शिक्षा को डा0 राधा कृष्णन ने शिक्षा की रीढ़ बताया है । मैट्रिक एवं इंटर की योग्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चे ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हैं। यदि बेहतर शिक्षा के माध्यम से हमें कुशल और योग्य युवा पैदा करना है तो माध्यमिक शिक्षा को मजबूती देनी होगी। हम लगातार माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी के लिए काम कर रहे हैं। प्रति वर्ष मध्य विद्यालय को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जा रहा है । शिक्षकों का नियोजन हुआ है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम हो रहे हैं । परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है - मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संस्कृति बिहार में कायम हो रही है।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण वेल में आ गये)

हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं हैं- विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। हमने नालन्दा, मुंगेर और पूर्णियां में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अवसर बिहार के बच्चे को मिले, इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना बनायी गयी हैं। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए अध्ययन तीन केन्द्र - सेंटर फोर जर्नलिजम ऐंड मास कम्युनिकेशन, पाटलीपुत्रा सेंटर फोर इकोनोमिक्स ऐंड सेंटर फोर रिवर स्टडीज स्थापित किये जा रहे हैं। महोदय, हमारी सरकार केवल स्कूली शिक्षा या कैरियर एडवांसमेंट के अवसर देने तक सीमित नहीं है। आप सहमत होंगे कि जिस शिक्षा में मूलभूत बोध नहीं, आचरण नहीं वह शिक्षा मानव समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकती है।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण ने सदन से वाक-आउट किया)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में चम्पारण की यात्रा की थी और चम्पारण सत्याग्रह के माध्यम से खेतिहर और मजदूर किसानों को मिले अत्याचार से मुक्ति दिलायी थी । उन्होंने चम्पारण सत्याग्रह के अनुभव के आधार पर कहा कि गरीबी, शोषण एवं सभी बुराइयों की जड़ में अशिक्षा है। बापू ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान के रूप में नहीं देखा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपको आपके साथी लोग स्थिर से सरकार की बात रखने की सलाह दे रहे हैं । आप माननीय नेता प्रतिपक्ष और उनके दल के सदस्यों को भी धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको अपनी बात व्यवधान रहित ढंग से रखने की सुविधा दी।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, यह एक अद्‌भुत क्षण है कि विपक्ष के लोगों ने मेम्बर के आवर को खाने का काम किया । सरकार का कोई प्रतिरोध उनकी क्षमता से बाहर की बात है क्योंकि अपार बहुमत है, लेकिन सदस्य लोग जो डिबेट में भाग लेते उनके समय को नष्ट करके लोकतंत्र की मर्यादा का हनन विपक्ष ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ कार्य नहीं है।

अध्यक्ष : आप कहना चाहते हैं कि..........

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान के रूप में नहीं देखा, उन्होंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का मष्तिष्क, हाथ और हृदय तीनों मजबूत होता है। जो शिक्षा हमारे लिए मूल बोध प्रदान नहीं करती वह वास्तविक रूप से शिक्षा नहीं है। मैं युगपुरूष स्वामी विवेकानन्द की उक्ति को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ- हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। बिहार सरकार ने सुविचारित ढंग से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाया है।

सरकार ने कानूनी रूप से ठोस कानून बनाकर बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया और इस कानून के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। हम अपने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी के 100वें चम्पारण वर्ष पर इस मद्य निषेध कानून को लागू करने का काम किया है। इसके साथ-साथ हम मद्य निषेध से आगे बढ़कर संपूर्ण नशामुक्ति के पक्ष में ठोस वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। हमारे साक्षरता कार्यकर्त्ता घर-घर, द्वार-द्वार, जन-जन तक पहुंचकर नशाबन्दी के पक्ष में जन चेतना का निर्माण कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नारे के द्वारा, अपील के द्वारा घर-घर अलख जगाया जा रहा है। बच्चे अपने अभिभावकों से नशा नहीं करने की प्रतिज्ञा करा रहे हैं। पिछले 21 जनवरी, 2017 को हमने नशामुक्त बिहार के पक्ष में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। आप सबों के समर्थन से बिहार वासियों ने लगभग 4 करोड़ की संख्या में भाग लेकर अब तक का विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। यह किसी के विरोध में नहीं था और इसमें लोग प्रलोभन एवं दबाव में नहीं लाये गये थे, यह एक स्वतःस्फूर्त जन चेतना का प्रकटीकरण था। महोदय, मैं इन बातों की चर्चा सदन में इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी सोच बहुत दूर जाने की है। पंडित नेहरू हमेशा राबर्ट फास्ट की कविता अपनी मेज पर रखते थे-Miles to go before I sleep.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में शिक्षा विभाग के लिए योजना एवं गैर योजना मद के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से कुल 622.52 करोड़ रूपया प्रावधानित करने का प्रस्ताव उपस्थापित है। पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना के लिए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का लक्ष्य बिहार सरकार प्राप्त कर चुकी है, लगभग 99 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं। विद्यालय भवन, शिक्षक की सुविधा के लक्ष्य को हम प्राप्त कर चुके हैं। गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास जारी है। प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक संख्या में बच्चे 8वीं कक्षा से निकलकर 9वीं कक्षा में जाना चाहते हैं। सभी लड़कियों का सपना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन कराएं, साइकिल और पोशाक प्राप्त करें और अपने भविष्य को खुद गढ़ें और बढ़ें । पर्याप्त संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा देने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। हम प्रति वर्ष बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में कुछ प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0-1021, दिनांक 05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विहीन पंचायतों में 5059 आच्छादित पंचायतों के विरूद्ध 2160 पंचायत में मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। शेष 2901 अनाच्छादित पंचायत के विरूद्ध 580 उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वर्तमान में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। 2160 नव

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 1155.50 करोड़ रू0 की स्वीकृति दी गयी है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 को मात्र 800 करोड़ की ही राशि उपलब्ध करायी गयी है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 द्वारा 993 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके अन्तर्गत 350 विद्यालय का भवन पूर्ण है, 302 फीनिशिंग स्तर पर है एवं 209 विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 द्वारा इस योजना को उपलब्ध करायी गयी 800 करोड़ रूपये का पूर्ण व्यय किया जा चुका है। साथ ही 80 करोड़ का अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जा चुका है, जिसका भुगतान लंबित है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 लंबित भुगतान हेतु उपयुक्त शेष राशि में से तत्काल 75 करोड़ उपलब्ध कराने हेतु तृतीय अनुपूरक से राशि व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। समय की मांग है कि पढ़ाई के लिए अच्छी संरचना हो, कमरे हो, प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो एवं आवश्यकतानुसार फर्नीचर हो।

क्रमशः

टर्न-7/अशोक/03.03.2017

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : क्रमशः यह सही है कि हमारे पास सीमित संसाधन है परन्तु हमारे सपने बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्थाओं में अपेक्षित आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाए । इस क्रम में इन प्रस्तावों पर आपकी स्वीकृति चाहिए ।

माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत 235 चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालय के विरूद्ध बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 196 विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया । निर्माणाधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन अन्तर्गत 98 पूर्ण है, 72 फिनिसिंग स्टेज एवं अन्य निर्माणाधीन है, के भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 27142.50 लाख के विरूद्ध प्रदत्त राशि 10451.81 लाख के व्यय हो जाने के कारण शेष राशि के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना है । बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 225.4 करोड़ का निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों के अंतर्गत अधूरे भवन के निर्माण एवं जीर्ण-शीर्ण भवन के जीर्णोद्धार के लिए तृतीय अनुपूरक से 134.49 करोड़ राशि व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 31 उच्च माध्यमिक विद्यालय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

छात्रवृत्ति योजना(वर्ग 1 से 8):- मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मद्य निषेध लागू करने के बाद बिहार सरकार की आय में अचानक कमी आई लेकिन सरकार ने गाँधी के रास्ते पर चलना अंगीकार किया । संसाधन की कमी के बावजूद हम छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल वितरण जैसी योजना में कोई कमी नहीं लाना चाहते और पूर्ववत बिहार के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ देना चाहते हैं ।

राजकीय/राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा I-VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र(बालक) जिनका पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष हैं एवं सामान्य कोटि के सभी छात्राओं को कक्षा I-IV के लिए प्रति छात्र 50/- रूपये प्रतिमाह की दर से कक्षा V-VI के लिए प्रति छात्र 100 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं कक्षा VII-VIII के लिए प्रति छात्र 150/- रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की राशि दी जा रही है ।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भी वर्ग I-VIII में नामांकित एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं को जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत है को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल 200 करोड़ की आवश्यकता है । पूर्व से 100 करोड़ की राशि का बजट उपबंध प्राप्त है । शेष 100 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति योजना(वर्ग 9 एवं 10):- सभी कोटि के छात्राओं की छात्रवृत्ति अंतर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा(सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत(सहायता प्राप्त) माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य कोटि (अल्पसंख्यक समुदाय सहित) वर्ग IX एवं X में नामांकित छात्राओं एवं राज्य की उच्च जातियों में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गो के संबंध में की गयी अनुशंसा के आलोक में IX से X में नामांकित एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रूपये 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो, को प्रदान की जाती है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में वर्ग- 9 से 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत है, को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल 112.22 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना है । इसके लिए बिहार सरकार 40 प्रतिशत की राशि आवंटित

करती है । यद्यपि केन्द्रांश समय पर नहीं मिलता है जो बजट पास किये जाते हैं, उसकी राशि केन्द्र द्वारा नहीं दी जाती है । बावजूद, हम अपने संसाधनों से माध्यमिक शिक्षा अभियान को ठीक से लागू किया जाय और हमारे माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर सुविधा और अध्यापन हो ।

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 184.93 करोड़ रूपये केन्द्रांश की राशि उपलब्ध करायी गयी है । पूर्व में 80.00 करोड़ का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है । शेष 104.93 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 184.000 करोड़ रूपये केन्द्रांश की राशि उपलब्ध करायी गयी है । प्राप्त राशि के संगत राज्यांश 123.31 करोड़ की आवश्यकता है, जबकि 53.33 करोड़ का उद्व्यय एवं मात्र उपबंध प्राप्त है । शेष राज्यांश की राशि 69.98 करोड़ तृतीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भूमि अधिग्रहण :- अविभाजित बिहार में नतेरहाट विद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में भावी बच्चों के पठन-पाठन के लिए शिक्षा का केन्द्र था । वह संस्था झारखंड में चली गयी है । उसी प्रकार की संस्था बिहार में स्थापित हो और बिहार के योग्य एवं मेधावी बच्चों को देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा, मेधा दिखाने का अवसर मिले । इस सोच के साथ हम सिमुलतला आवासीय विद्यालय चल रहे हैं ।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय के भूमि अधिग्रहण हेतु कुल 14.24 करोड़ राशि की आवश्यकता है । पूर्व से 1.00करोड़ का उपबंध प्राप्त है । शेष 13.24 करोड़ राशि का उपबंध तृतीय अनरुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

लोक सभा एवं बिहार विधान सभा आम चुनाव हेतु विद्यालयों में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर की गयी विद्युत आपूर्ति के भुगतान हेतु कुल 14.26 करोड़ की आवश्यकता है । पूर्व से 1.60 करोड़ का उपबंध प्राप्त है । शेष 12.66 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह सदन ध्वनिमत से तृतीय अनुपूरक को पास करे ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री चाहें तो जो आपके पास लिखित या जो सरकार का वक्तव्य है, अगर आप पटल पर रख देते हैं तो कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : ठीक है । धन्यवाद ।

(परिशिष्ट -1 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : सदन से अपील कर दीजिए न अपना प्रस्ताव पास करने के लिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हमने तो अपील कर दिया है । सदन से अपील करते हैं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांग के प्रस्ताव पर चूंकि कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :

"तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान एवं नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मलित योजनाओ के लिए शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2)अधिनियम, 2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4)अधिनियम, 2016 के उपबंध के अतिरिक्त 6,22,52,11,000(छः अरब बाईस करोड़ बावन लाख ग्यारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अब अन्य अनुदानों की मांगों का मुखबन्ध होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान एवं नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2016, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2016 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्तः-

मांग संख्या-1 कृषि विभाग के संबंध में 34,56,90,000/-(चौंतीस करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार) रूपये ।

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 1,09,75,000/- (एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 28,56,29,000/- (अट्ठाईस करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार) रूपये

मांग संख्या 04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,25,02,01,000/- (एक अरब पचीस करोड़ दो लाख एक हजार) रूपये

मांग संख्या 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 19,99,43,000/-(उन्नीस करोड़ निनानबे लाख तैंतालिस हजार) रूपये

मांग संख्या 10	उर्जा विभाग के संबंध में 21,26,,65,00,000/-(एक्कीस अरब छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख) रूपये
मांग संख्या 11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 4,12,32,02,000/-(चार अरब बारह करोड़ बत्तीस लाख दो हजार) रूपये
मांग संख्या 12	वित्त विभाग के संबंध में 12,00,000/-(बारह लाख) रूपये
मांग संख्या 16	पंचायती राज विभाग के संबंध में 2,02,28,00,000/- (दो अरब दो करोड़ अट्ठाईस लाख) रूपये
मांग संख्या 18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 19,89,89,000/-(उन्नीस करोड़ नवासी लाख नवासी हजार) रूपये
मांग संख्या -19	पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 2,36,38,000/-(दो करोड़ छत्तीस लाख अड़तीस हजार) रुपये,
मांग संख्या -20	स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 6,97,73,04,000/-(छः अरब संतानवे करोड़ तिहत्तर लाख चार हजार) रुपये,
मांग संख्या-22	गृह विभाग के संबंध में 94,71,51,000/-(चौरानवे करोड़ एकहत्तर लाख एकावन हजार) रुपये,
मांग संख्या- 23	उद्योग विभाग के संबंध में 62,65,36,000/-(बासठ करोड़ पैंसठ लाख छत्तीस हजार) रुपये,
मांग संख्या-25	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 45,00,00,000/-(पैंतालीस करोड़) रुपये,
मांग संख्या-26	श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 49,42,73,000/-(उनचास करोड़ बयालिस लाख तिहत्तर हजार) रुपये ,
मांग संख्या-27	विधि विभाग के संबंध में 3,26,70,000/-(तीन करोड़ छब्बीस लाख सत्तर हजार) रुपये ,
मांग संख्या-29	खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 60,12,000/-(साठ लाख बारह हजार) रुपये,
मांग संख्या-30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 50,50,82,000/- (पचास करोड़ पचास लाख बेरासी हजार) रुपये ,
मांग संख्या-32	विधान मंडल के संबंध में 60,00,000/-(साठ लाख) रुपये,
मांग संख्या-33	सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 19,71,000 (उन्नीस लाख एकहत्तर हजार) रुपये ,

मांग संख्या-36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 60,00,01,000/-(साठ करोड़ एक हजार रुपये),
मांग संख्या-37	ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 17,60,00,00,000/-(सत्रह अरब साठ करोड़ रुपये ,
मांग संख्या-38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 1,71,00,000/-(एक करोड़ एकहत्तर लाख) रुपये,
मांग संख्या-39	आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 54,24,26,000/-(चौव्वन करोड़ चौबीस लाख छब्बीस हजार) रुपये ,
मांग संख्या -40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 4,05,88,000/-(चार करोड़ पाँच लाख अट्ठासी हजार) रुपये,
मांग संख्या -41	पथ निर्माण विभाग के संबंध में 3,00,00,00,000/-(तीन अरब) रुपये,
मांग संख्या - 47	परिवहन विभाग के संबंध में 4,35,30,000/-(चार करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार) रुपये ,
मांग संख्या -48	नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 5,19,85,00,000/-(पाँच अरब उन्नीस करोड़ पचासी लाख) रुपये
मांग संख्या -49	जल संसाधन विभाग के संबंध में 4,75,00,00,000/-(चार अरब पचहत्तर करोड़) रुपये,
मांग संख्या -50	लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 34,48,00,000/-(चौंतीस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये ,
मांग संख्या -51	समाज कल्याण विभाग के संबंध में 11,69,52,44,000/-(ग्यारह अरब उनहत्तर करोड़ बावन लाख चौव्वालिस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय। ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
सभी मांगे स्वीकृत हुईं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हमारा दो ही सवाल था । गरीबों को बसने के लिए चार डिसमील जमीन दीजिये और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बहुत सारे गरीब बी.पी.एल. की श्रेणी में नहीं आए हैं उनके संबंध में घोषणा की जाय तो मैं समर्थन करुंगा, इस दो मांग के साथ मैं भी समर्थन करुंगा ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : आप नहीं बोले तो बड़ा अच्छा लग रहा था ।

अध्यक्ष : इन्होंने 'ना' कह कर बहुमत से पारित होने का औचित्य बना दिया।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : विलुप्त विपक्ष को रिप्रेजेंट कर दिए ।

विधायी कार्य

राजकीय(वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग विधेयक, 2017''

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग विधेयक, 2017 '' को पुर:थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग विधेयक, 2017 '' को पुर:थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग विधेयक, 2017 पर विचार हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' अनुसूची इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड -1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" नाम इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार विनियोग विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।"

महोदय, चूँकि अभी थर्ड सप्लीमेंट्री की स्वीकृति मिली है तो यह सदन की कितनी महत्ता है और महत्व है कि अगर सदन चाहे तो स्वीकृति देता है । पैसा खर्च करने का और सदन अगर नहीं चाहे तो स्वीकृति नहीं मिलती है । मगर मुझे अफसोस है कि जिस महत्वपूर्ण कार्य में मुख्य विपक्षी दलों को अपनी राय रखनी चाहिए थी और इसमें सक्रियता निभानी चाही थी, इस चीज का महत्व उन्होंने नहीं समझा । महोदय, थर्ड सप्लीमेंट्री स्वीकृत हो गया है तो पैसे का उपबंध हो गया, मगर उसको खर्च करने का सैंक्शन या एक लाईसेंस डिफरेंट डिपार्टमेंट को चाहिए, उसके लिए भी सदन सर्वोपवरि है तो सदन में उसी स्वीकृति के लिए सरकार आयी है । विभिन्न विभागों का डिटेल मैं सदन पटल पर रखता हूँ, इसको प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप सदन के पटल पर रख दीजिये, वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन जायेगा ।

(परिशिष्ट-2 द्रष्टव्य)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री : मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इसको खर्च करने की स्वीकृति दी जाय ताकि पे, पेंशन, विकास के कार्य रुके नहीं । इसलिए मैं सदन से अपील करता हूँ कि बिहार विनियोग विधेयक, 2017 पर सदन अपनी स्वीकृति दे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार विनियोग विधेयक, 2017 स्वीकृत हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : आज दिनाँक 03 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 36 (छत्तीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनाँक 6 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट–1

शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष 2016–17 में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित वाद–विवाद पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का उत्तर :–

अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में तृतीय अनुपूरक आगणन से शिक्षा विभाग को राशि प्रावधानित करने हेतु आपके माध्यम से मैं सदन को अनुरोध कर रहा हूँ। विगत कई वर्षों से बिहार सरकार के लगातार प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अपने मानव संसाधन को सबल और समर्थ बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कहावत है **"यदि एक साल की सोच है तो अनाज और सब्जी उगाइये। एक दशक के लिए सोचते हैं तो फल लगाइये। अगर पीढ़ियों के लिए सोचते हैं तो शिक्षा में अपनी ताकत, अपना धन और समय लगाइये।"**

हमारी सरकार वर्तमान के साथ–साथ बिहार के भविष्य के लिए चिन्तनशील है। हमने सभी गाँव तक, घरों तक और हर बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचाने में सफलता पाई है। लगभग 99 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित है। उनके लिए विद्यालय, शिक्षक के साथ–साथ गुणवत्ता पर लगातार काम करते हुए बिहार ने एक उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है। अब हमारा बल माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने का है। माध्यमिक शिक्षा को डॉ0 राधाकृष्णन ने शिक्षा की रीढ़ बतलाया है। मैट्रिक एवं इन्टर की योग्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चे ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हैं। यदि बेहतर शिक्षा के माध्यम से हमें कुशल और योग्य युवा पैदा करना है तो माध्यमिक शिक्षा को मजबूती देनी होगी।

हम लगातार माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। प्रति वर्ष मध्य विद्यालयों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जा रहा है। शिक्षकों का नियोजन हुआ है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम हो रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन हो रहा है। मेहनत करने के, पढ़ने के, सीखने के और आगे बढ़ने की संस्कृति बिहार में कायम हो रही है।

हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। हमने नालंदा, मुंगेर और पूर्णिया में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अवसर बिहार के बच्चे को मिले इसके लिए स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई गयी है।

आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आधुनिक समय की आवश्यकता को देखते हुए अध्ययन तीन केन्द्र Centre for Journalism and Mass Communication, Patliputra centre for Economics and Centre for River Studies स्थापित किये जा रहे हैं।

महोदय, हमारी सरकार केवल स्कूली शिक्षा या कैरियर एडवांसमेन्ट के अवसर देने तक सीमित नहीं है। आप सहमत होंगे कि जिस शिक्षा में मूल्य बोध नहीं हो, आचरण नहीं हो, वह

शिक्षा मानव समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 1917 में चम्पारण की यात्रा की थी और चम्पारण सत्याग्रह के माध्यम से खेतिहर किसान और मजदूरों को नीलहे अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने चम्पारण सत्याग्रह के अनुभव के आधार पर कहा कि "गरीबीं, शोषण एवं सभी बुराईयों के जड़ में अशिक्षा है।"

बापू ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान के रूप में नहीं देखा, उन्होंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का मस्तिष्क, हाथ और हृदय तीनों मजबूत होता है जो शिक्षा हमारे लिए मूल्य बोध प्रदान नहीं करती है वह वास्तविक रूप में शिक्षा नहीं है।

मैं युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द की उक्ति को भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ :–

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए,

जिससे चरित्र का निर्माण हो।

मन की शक्ति बढे,

बुद्धि का विकास हो और

मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके।

बिहार सरकार ने सुविचारित ढंग से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाया है। सरकार ने कानूनी रूप से ठोस कानून बनाकर बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया है और इस कानून के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है । इसके साथ–साथ हम मद्य निषेध से आगे बढ़कर सम्पूर्ण नशामुक्ति के पक्ष में ठोस वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

हमारे साक्षरता कार्यकर्त्ता घर–घर, द्वार–द्वार जन–जन तक पहुँच कर नशाबंदी के पक्ष में जन चेतना का निर्माण कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नारे के द्वारा, अपील के द्वारा घर–घर अलख जगाया जा रहा है। बच्चे अपने अभिभावकों से नशा नहीं करने की प्रतीज्ञा करा रहे हैं।

पिछले 21 जनवरी, 2017 को हमने नशामुक्त बिहार के पक्ष में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। आप सबों के समर्थन से बिहार वासियों ने लगभग चार करोड़ की संख्या में भाग लेकर अब तक का विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई। यह किसी के विरोध में नहीं था और इसमें लोग प्रलोभन एवं दबाव से नहीं लाये गये थे। यह एक स्वतः स्फूर्त जन चेतना का प्रकटीकरण था।

महोदय, मैं इन बातों की चर्चा सदन में इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी सोच बहुत दूर तक जाने का है। पं0 नेहरू हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता अपने मेज पर रखते थे "Miles to go before I sleep" हम ऐसे ज्ञानमूलक समाज की कल्पना करते हैं जिसके बारे में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है।

"मन जहाँ डर से परे है
और सिर जहाँ ऊँचा है;
ज्ञान जहाँ मुक्त है;
और दुनिया को
संकीर्ण घरेलू दीवारों से
छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया है
जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकलते है;
जहाँ थकी हुई प्रयासरत बांहें
त्रुटिहीनता की तलाश में हैं;
जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है
जो सुनसान रेतीले मृत आदत के
वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है;
जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में
तुम्हारे जरिये आगे चलता है
और आजादी के स्वर्ग में पहुँच जाता है
ओ पिता
मेरे देश को जागृत बनाओ"

वित्तीय वर्ष 2016–17 में शिक्षा विभाग के लिए योजना एवं गैर–योजना मद के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से कुल 622.52 करोड़ रूपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव उपस्थापित है :–

(क) राज्य योजना मद

1. पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना :–प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का लक्ष्य बिहार सरकार प्राप्त कर चुकी है। लगभग 99 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं। विद्यालय, भवन, शिक्षक की सुविधा के लक्ष्य को हम प्राप्त कर चुके हैं। गुणवत्ता के प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास जारी है। प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक संख्या में बच्चे 8वीं कक्षा से निकलकर 9वीं कक्षा में जाना चाहते हैं। सभी लड़कियों का सपना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यालयों में नामांकन करायें, साईकिल और पोशाक प्राप्त करें और अपने भविष्य खुद गढ़े। पर्याप्त संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा देने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। हम प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में कुछ प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(i) राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक 05.07.13 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में 5059 अनाच्छादित पंचायत के विरूद्ध 2160

पंचायत में मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। शेष 2901 अनाच्छादित पंचायत के विरूद्ध 580 उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय से वर्तमान में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) 2160 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 1155.50 करोड़ (ग्यारह अरब पचपन करोड़ पचास लाख) की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत राशि के विरूद्ध बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को मात्र 800.00 करोड़ हीं राशि उपलब्ध करायी गयी है।

(iii) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 993 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत 350 विद्यालय का भवन पूर्ण, 302 फिनिशिंग स्तर पर एवं 209 विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।

(iv) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी 800.00 करोड़ रूपये का पूर्ण व्यय किया जा चुका है, साथ ही 80.00 करोड़ का अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जा चुका है, जिसका भुगतान लंबित है।

(v) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड को लंबित भुगतान हेतु उपर्युक्त शेष राशि में से तत्काल 75.00 करोड़ उपलब्ध कराने हेतु तृतीय अनुपूरक से राशि व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

2. आधारभूत संरचना निर्माण :– समय की माँग है कि पढ़ाई के लिए अच्छी संरचना हो, कमरे हों, प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो एवं आवश्यकतानुसार फर्नीचर हो। यह सही है कि मेरे पास सीमित संसाधन है परन्तु हमारे सपने बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्थाओं में अपेक्षित आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाए। इस क्रम में इन प्रस्तावों पर आपकी स्वीकृती चाहिए।

(i) माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत 235 चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालय के विरूद्ध बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 196 विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। निर्माणाधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन अन्तर्गत 98 पूर्ण है, 72 फिनिसिंग स्टेज एवं अन्य निर्माणाधीन है के भवन निर्माण हेतु

कुल स्वीकृत राशि 27142.50 लाख के विरूद्ध प्रदत्त राशि 10451.81 लाख के व्यय हो जाने के कारण शेष राशि के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 225.4 करोड़ का निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों के अंतर्गत अधूरे भवन के निर्माण एवं जीर्ण–शीर्ण भवन के जीर्णोद्वार के लिए तृतीय अनुपूरक से 134.49 करोड़ राशि व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ii) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 31 उच्च माध्यमिक विद्यालय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

3. छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 1 से 8) :– मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मद्य निशेध लागू करने के बाद बिहार सरकार की आय में अचानक कमी आई लेकिन सरकार ने गाँधी के रास्ते पर चलना अंगीकार किया। संसाधन की कमी के बावजूद हम छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल वितरण जैसी योजना में कोई कमी नहीं लाना चाहते और पूर्ववत बिहार के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ देना चाहते हैं।

(i) राजकीय/राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा I-VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र (बालक) जिन का पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख प्रतिवर्ष है एवं सामान्य कोटि के सभी छात्राओं को कक्षा I-IV के लिए प्रति छात्र 50/– रूपये प्रतिमाह की दर से कक्षा–V-VI के लिए प्रति छात्र 100/– रूपये प्रतिमाह की दर से एवं कक्षा VII-VIII के लिए प्रति छात्र 150/– रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृति की राशि दी जा रही है।

(ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी वर्ग I-VIII में नामांकित एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं को जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत है को छात्रवृति उपलब्ध कराने हेतु कुल 200 करोड़ की आवश्यकता है। पूर्व से 100 करोड़ की राशि का बजट उपबंध प्राप्त है। शेष 100 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

4. छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 9 एवं 10) :–

(i) सभी कोटि के छात्राओं की छात्रवृति अंतर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा (सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य कोटि

(अल्पसंख्यक समुदाय सहित) वर्ग IX एवं X में नामांकित छात्राओं एवं राज्य की उच्च जातियों में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंध में की गयी अनशंसा के आलोकमें IX से X में नामांकित एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) तक हो, को प्रदान की जाती है।

(ii) वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में वर्ग–9 से 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र–छात्राओं को जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत है, को छात्रवृति उपलब्ध कराने हेतु कुल 112.22 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

,. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके लिए बिहार सरकार 40 प्रतिशत की राशि आवंटित करती है। यद्यपि केन्द्रांश समय पर नहीं मिलता है जो बजट पास किये जाते है, उसकी राशि केन्द्र द्वारा नहीं दी जाती है। बावजूद, हम अपने संसाधनों से माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को ठीक से लागू किया जाय और हमारे माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर सुविधा और अध्यापन हो।

(i) वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 184.93 करोड़ रूपये केन्द्रांश की राशि उपलब्ध करायी गयी है। पूर्व से 80.00 करोड़ का उदव्यय एवं उपबंध प्राप्त है। शेष 104.93 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ii) वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 184.00 करोड़ रूपये केन्द्रांश की राशि उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त राशि के संगत राज्यांश 123.31 करोड़ की आवश्यकता है, जबकि 53.33 करोड़ का उदव्यय एवं मात्र उपबंध प्राप्त है। शेष राज्यांश की राशि 69.98 करोड़ तृतीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

6. सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भूमि अधिग्रहण :– अविभाजित बिहार में नेतरहाट विद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में भावी बच्चों के पठन–पाठन के लिए शिक्षा का केन्द्र था। वह संस्था झारखंड में चली गयी है। उसी प्रकार की संस्था बिहार में स्थापित हो और बिहार के योग्य एवं मेधावी बच्चों को देश और

दुनिया में अपनी प्रतिभा, मेधा दिखाने का अवसर मिले। इस सोच के साथ हम सिमुलतला आवासीय विद्यालय चला रहे हैं।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय के भूमि अधिग्रहण हेतु कुल 14.24 करोड़ राशि की आवश्यकता है। पूर्व से 1.00 करोड़ का उपबंध प्राप्त है। शेष 13.24 करोड़ राशि का उपबंध तृतीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ख) गैर योजना मद

7. **लोकसभा एवं बिहार विधान सभा आम चुनाव में विद्यालयों में की गयी विद्युत आपूर्ति का भुगतान :–** लोकसभा एवं बिहार विधान सभा आम चुनाव हेतु विद्यालयों में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर की गयी विद्युत आपूर्ति के भुगतान हेतु कुल 14.26 करोड़ की आवश्यकता है। पूर्व से 1.60 करोड़ का उपबंध प्राप्त है। शेष 12.66 करोड़ तृतीय अनुपूरक से राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(7)

शिक्षा विभाग

(राशि लाख में)

क्रम सं0	मद	कुल आवश्यकता	वर्तमान उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन में प्रस्ताव	अभ्युक्ति
1	पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना	10000.00	2500.00	7500.00	
2	उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	16639.98	3190.92	13449.06	
3	छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 1 से 8)	20000.00	10000.00	10000.00	
4	छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 9 से 10)	21222.31	10000.00	11222.31	
5	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (केन्द्रांश)	18493.36	8000.00	10493.36	
6	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (राज्यांश)	12330.90	5333.33	6997.57	
7	सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भूमि अधिग्रहण	1423.88	100.00	1323.88	
8	विद्यालयों में की गयी विद्युत आपूर्ति का भुगतान	1426.00	160.00	1266.00	
		101536.43	**39284.25**	**62252.18**	

नोट :– कुल छः अरब बाइस करोड़ बावन लाख अठारह हजार रूपये का तृतीय अनुपूरक आगणन में प्रस्ताव है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

परिशिष्ट –2

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय,</u>

बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन दिनांक–27 फरवरी, 2017 को किया गया। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में **8983.51** करोड़ रूपये (आठ हजार नौ सौ तिरासी करोड़ एकावन लाख रूपये) प्रस्तावित की गयी है।

राज्य योजना मद में **7625.91** करोड़ रूपये (सात हजार छः सौ पचीस करोड़ एकानवे लाख रूपये) प्रस्तावित है। इसमें मुख्य प्रावधान–

- 1460.00 करोड़ रूपये (एक हजार चार सौ साठ करोड़ रूपये) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) में राज्यांश मद में व्यय हेतु,
- 1117.66 करोड़ रूपये (एक हजार एक सौ सात करोड़ छियासठ लाख रूपये) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं की क्रियान्वयन में निवेश हेतु,
- 768.99 करोड़ रूपये (सात सौ अड़सठ करोड़ निन्यानवे लाख रूपये) नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजनाओं में निवेश हेतु,
- 410.07 करोड़ रूपये (चार सौ दस करोड़ सात लाख रूपये) पिछड़े वर्ग की छात्राओं को छात्रवृति एवं वजीफा देने हेतु,
- 374.79 करोड़ रूपये (तीन सौ चौहत्तर करोड़ उनासी लाख रूपये) सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन हेतु, जिसमें 350.55 करोड़ रूपये केन्द्रांश मद में और 24.24 करोड़ रूपये राज्यांश मद में व्यय होगें ।
- 347.40 करोड़ रूपये (तीन सौ सैंतालीस करोड़ चालीस लाख रूपये) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राज्यांश मद से वृद्वावस्था पेंशन भुगतान हेतु
- 289.06 करोड़ रूपये (दो सौ नवासी करोड़ छः लाख रूपये) एकीकृत बाल विकास सेवाएं परियोजना में राज्यांश मद से आहार उपलब्ध कराने हेतु

- 275.12 करोड़ रूपये (दो सौ पचहत्तर करोड़ बारह लाख रूपये) एकीकृत बाल विकास सेवाएं परियोजना में राज्यांश मद से मजदुरी एवं अन्य मदों के भुगतान हेतु,
- 240.00 करोड़ रूपये (दो सौ चालीस करोड़ रूपये) बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कम्पनी लि० में निवेश हेतु,
- 222.73 करोड़ रूपये (दो सौ बाईस करोड़ तिहत्तर लाख रूपये) राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण मद में व्यय हेतु,
- 200.00 करोड़ रूपये (दो सौ करोड़ रूपये) वृह्द सड़कों के निर्माण कार्य हेतु,
- 174.91 करोड़ रूपये (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकानवे लाख रूपये) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में, जिसमें 104.93 करोड़ रूपये केन्द्रांश मद में और 69.98 करोड़ रूपये राज्यांश मद में व्यय हेतु,
- 160.00 करोड़ रूपये (एक सौ साठ करोड़ रूपये) बेतिया एवं मधेपुरा में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु,
- 112.22 करोड़ रूपये (एक सौ बारह करोड़ बाईस लाख रूपये) मध्य विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृति एवं वजीफा देने हेतु,
- 103.84 करोड़ रूपये (एक सौ तीन करोड़ चौरासी लाख रूपये) अस्पतालों में परिवार कल्याण से जुड़े हुए कर्मियों को वेतन एवं अन्य मदें हेतु,
- 100.00 करोड़ रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृति एवं वजीफा देने हेतु,
- 100.00 करोड़ रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य कराने हेतु,
- 100.00 करोड़ रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) पटना के हवाई अड्डे पर सिविल इंक्लेव निर्माण कार्य हेतु,

गैर योजना मद में **1316.08** करोड़ रूपये (एक हजार तीन सौ सोलह करोड़ आठ लाख रूपये) प्रभृत राशि सहित प्रस्तावित है। इसमें मुख्य प्रावधान–

- 600.00 करोड़ रूपये (छः सौ करोड़ रूपये) बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों, संरचनाओं, बराजों एवं पुल के मरम्मती कार्यहेतु,
- 202.28 करोड़ रूपये (दो सौ दो करोड़ अठाईस लाख रूपये) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान मद में व्यय हेतु,
- 160.50 करोड़ रूपये (एक सौ साठ करोड़ पचास लाख रूपये) सदर एवं अनुमंडल अस्पतालों के कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु,
- 70.50 करोड़ रूपये (सतर करोड़ पचास लाख रूपये) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वेतनादि भुगतान हेतु,
- 40.00 करोड़ रूपये (चालीस करोड़ रूपये) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान देने हेतु,
- 37.22 करोड़ रूपये (सैंतीस करोड़ बाईस लाख रूपये) पटना मेडिकल अस्पताल को वेतनादि भुगतान हेतु,
- 30.00 करोड़ रूपये (तीस करोड़ रूपये) राजकीय नलकूप के विद्युत प्रभार मद की राशि व्यय हेतु,
- 25.00 करोड़ रूपये (पचीस करोड़ रूपये) बाढ़ से तटबंधों की सुरक्षा के लिए मरम्मत कार्य हेतु,
- 21.87 करोड़ रूपये (इक्कीस करोड़ सतासी लाख रूपये) पुलिस आधुनिकीकरण परियोजना में राज्यांश मद से मशीनें एवं उपस्कर क्रय करने हेतु,
- 19.20 करोड़ रूपये (उन्नीस करोड़ बीस लाख रूपये) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु,

- 12.23 करोड़ रूपये (बारह करोड़ तेईस लाख रूपये) देशी आयुर्विज्ञान निदेशालयों में कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु,

- 10.00 करोड़ रूपये (दस करोड़ रूपये) राज्य के स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने हेतु।

केन्द्रीय योजनागत येाजना मद में 41.51 करोड़ रूपए (एकतालीस करोड़ एकावन लाख रूपये) प्रस्तावित है । इसमें मुख्य प्रावधान–

- 17.44 करोड़ रूपये (सत्रह करोड़ चौवालीस लाख रूपये) लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण परियोजना में केन्द्रांश मद की राशि व्यय हेतु।

- 6.71 करोड़ रूपये (छः करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेकनोलॉजी की परियोजना में केन्द्रांश मद की राशि व्यय हेतु।

बिहार विनियोग विधेयक, 2017 द्वारा कुल **8983.5067** करोड़ रूपये (नवासी अरब तिरासी करोड़ पचास लाख सड़सठ हजार रूपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। विनियोजन राशि में **8983.3166** करोड़ रूपये (नवासी अरब तिरासी करोड़ एकतीस लाख छियासठ हजार रूपये) मतदेय एवं **19.01** लाख रूपये (उन्नीस लाख एक हजार रूपये) भारित है।

तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2017 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2017 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाए ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

************** –:जय हिन्दः– **************